प्रेमी ने ब्लेड से रेता प्रेमिका का गला

नरवर कस्बे के गेस्ट हाउस में खूनी खेल

शिवपुरी, 31 दिसंबर. जिले के नरवर कस्बे में प्रेमी ने अमर शांति गेस्ट हाउस में अपनी प्रेमिका को मिलने बुलाया और उसकी गला रेतकर हत्या कर दी.

हत्या करने के बाद प्रेमी ने स्वयं बताया कि उसने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और पुलिस को बुलाने की कहने लगा. मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्यारे प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के अनुसार नरवर के अमर शांति गेस्ट हाउस में इमलिया में निवास करने वाला गोकुल अपनी प्रेमिका रिंकी कोली उम्र 35 साल को लेकर आया और एक कमरा बुक किया. गेस्ट हाउस प्रबंधन ने प्रेमी प्रेमिका

को कमरा नंबर 144 बुक करते हुए रूम की चाबी दे दी. रिंकी कोली भी इमलिया गांव की रहने वाली है और विवाहिता है उसके चार बच्चे है. गोकुल का घर रिंकी के सामने ही था. जब से रिंकी की शादी हुई थी उसी समय के बाद गोकुल से उसका अफेयर शुरू हो गया था. आज गोकुल और रिंकी मिलने के लिए अमर शांति गेस्ट हाउस में मिलने के लिए आए थे. कमरे में गोकुल और रिंकी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और गोकुल ने ब्लेड से रिंकी की गला काट दिया जिससे उसकी तडप तडप के मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी का सरेंडर होटल में रुकने के करीब डेढ़ घंटे बाद, आरोपी गोकुल कमरे से बाहर निकला और वहां मौजूद लोगों से चिल्ला कर कहने लगा, मैंने रिंकी कोली को मार दिया है, पुलिस को बुलाओ और मुझे गिरफ्तार करवाओ. आरोपी की बात सुनकर गेस्ट हाउस स्टाफ और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही नरवर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची.

> पुलिस ने कमरे के अंदर से महिला का शव बरामद कर उसे अपने कब्जे में ले लिया है. आरोपी गोकुल को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है. रिंकी के पति चंदन सिंह मजदूरी का काम करते हैं. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर डेढ़ घंटे के भीतर कमरे में ऐसा क्या हुआ कि गोकुल ने इतना बड़ा कदम उठाया.

85 लाख की परियोजनाओं को मिली गति : मोदी

नई दिल्ली, 31 दिसंबर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (प्रगति) की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की. इसमें पांच राज्यों की बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की गई.

इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रगति आधारित प्रणाली ने बीते 10 वर्षों में 85 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को गति देने में अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने सुधारों की रफ्तार बनाए रखने और योजनाओं के समय पर क्रियांवयन के लिए 'प्रगति' की आवश्यकता पर जोर दिया. पीएम मोदी ने मुख्य सचिवों से योजनाओं की नियमित निगरानी करने और पीएमश्री

स्कूलों को राज्य सरकारों के अन्य स्कूलों के लिए बेंचमार्क बनाने का निर्देश दिया. साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि वह स्कूलों का निरीक्षण करें और कमियों को दूर कराएं. उन्होंने कहा कि कई परियोजनाएं मंशा की कमी से नहीं, बल्कि समन्वय की कमी के कारण अटकती हैं. पीएम मोदी ने कहा कि राज्य और केंद्र के संयुक्त प्रयासों से कई दशकों से अटकी परियोजनाएं राष्ट्रीय हित में पूरी की गई हैं.

> बैठक में सड़क, रेलवे, बिजली, जल संसाधन और कोयला क्षेत्रों से जुड़ी पांच अहम आधारभूत परियोजनाओं की समीक्षा की, जिनकी कुल लागत 40,000 करोड़ से अधिक है. वहीं, कैबिनेट सचिव ने प्रगति की उपलब्धियों पर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि किस तरह इस प्लेटफॉर्म ने मंत्रालयों और केंद्र-राज्य के बीच समन्वय को मजबूत कर योजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन और शिकायत निवारण में सुधार किया है.

समारोहपूर्वक हुआ सीवरेज योजना का भूमिपूजन

मंदसौर, 31 दिसंबर. बुधवार को नगरपालिका परिषद के द्वारा गांधी नगर में मंदसौर नगर की बहुप्रतिष्ठित सीवरेज याजना अंतर्गत सीवर लाईन बिछाने एवं चेम्बर निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया. अमृत 2.0 योजना अन्तर्गत लगभग 150.84 करोड़ रूपये की लागत से पूरे मंदसौर नगर के सभी 40 वार्डों में लगभग 280 कि.मी. की लम्बाई की सीवर लाइन बिछाई जायेगी और हर तीन मकानों (घरों) के बीच एक चेम्बर बनेगा. इस निर्माण कार्य का भूमिपूजन कल भव्य समारोह में वार्ड नं. 39 में होगा.

भिंड में सवर्ण समाज के लोगों ने घेरा थाना

मनुस्मृति के साथ गिरफ्तारी देने पहुंचे परशुराम सेना के नेता

भिंड, 31 दिसंबर. शहर में भीमराव अंबेडकर व मनुस्मृति को लेकर चल रहा विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. सवर्ण समाज से जुड़े संगठनों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में कोतवाली थाना पहुंचे और मनुस्मृति के साथ गिरफ्तारी दी.

शिवपुरी के खनियाधाना में भीम आर्मी द्वारा कथित रूप से मनुस्मृति जलाए जाने की घटना सामने आई थी. इस घटना से भिंड शहर में सवर्ण समाज के संगठनों में नाराजगी फैल गई थी. इसके विरोध में परशुराम सेना ने भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा जलाने का ऐलान किया था. इसके बाद पुलिस ने परशुराम सेना और अन्य सवर्ण संगठनों के पदाधिकारियों पर नजर रखना शुरू कर दी थी. इन संगठनों ने अंबेडकर के पोस्टर

जलाने की कोशिश की थी. बीते रोज प्रदर्शन के दौरान परशुराम सेना के जिला उपाध्यक्ष विनीत शर्मा उर्फ बंटी पुरोहित ने परेड चौराहे पर भीमराव अंबेडकर का पोस्टर जलाने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया. इसके बाद जब अन्य पदाधिकारी परेड चौराहे पर विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे तो पुलिस ने अंबेडकर की आत्मकथा जलाने के प्रयास को भी रोक दिया.

> भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने थाने का घेराव किया और एफआईआर दर्ज करने की मांग की. पुलिस ने इस मामले में विनीत शर्मा उर्फ बंटी पुरोहित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था. इस मामले के तीसरे दिन परशुराम सेना, श्रीराम सेना और सवर्ण आर्मी के पदाधिकारी हाथों में मनुस्मृति लेकर कोतवाली थाना पहुंचे. इस दौरान उन्होंने नारेबाजी की और मनुस्मृति के साथ गिरफ्तारी दी. विनीत शर्मा उर्फ बंटी पुरोहित ने खुद गिरफ्तारी दी, जिसके बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया.

बदमाशों ने प्राचार्य की कुर्सी पर लगाया गूंगे, बहरे व अंधे का पोस्टर

▸ कॉलेज में घुसकर मारपीट करने वालों पर केस दर्ज

शाजापुर, 31 दिसंबर. लालघाटी थाना पुलिस ने कॉलेज में घुसकर छात्रों के साथ मारपीट करने व धमकाने के आरोप में चार बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

इस मामले को लेकर एनएसयूआई ने भी कॉलेज पहुंचकर विरोध जताया. हालांकि प्राचार्य के न होने से उनकी चर्चा तो नहीं हो सकी, लेकिन एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य की कुर्सी पर गूंगे, बहरे व अंधे प्राचार्य का पोस्टर चस्पा कर अपना विरोध जताया.

मंगलवार को नगर के पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन महाविद्यालय में हुई मारपीट की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था. वीडियो आने के बाद लालघाटी पुलिस ने कार्रवाई की है. इस मामले में चार आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. यह कार्रवाई छात्र विजय धाकड़ की शिकायत पर की गई है. लालघाटी थाना प्रभारी अर्जुन सिंह मुजाल्दे ने बताया कि फरियादी विजय धाकड़ 22 निवासी सुनेरा बीकेएसएन कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष का छात्र है.

अपने मेडिकल से दवाई बिकवाते हैं

जिला विक्रेता औषधि संघ की कार्यकारिणी सभा में उठा मुद्दा

रतलाम, 31 दिसंबर. जिला औषधि विक्रेता संघ की चतुर्थ कार्यकारिणी सभा की बैठक आयोजित हुई. इसमें चिकित्सकों द्वारा दवा पर्चा में गंदी लिखावट का मुद्दा उठा.

बताया गया कि कुछ चिकित्सकों द्वारा अपने मेडिकल स्टोर से दवाईयों को बिकवाने के लिए इस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं. बैठक में बताया गया कि हड्डी और चर्म रोग के चिकित्सक ये काम ज्यादा कर रहे है. बताया गया कि जिले में कुछ चिकित्सक जानबूझकर गंदी लिखावट में पर्चा लिखते है, ताकि सभी मेडिकल व्यवसायी उनकी लिखावट नहीं समझ सके. कुछ चिकित्सकों ने तो अपने मेडिकल खोल रखे है और दवाओं का स्टाकिस्ट भी उसे बना रखा है. इससे बाजार में उनकी लिखी दवा मिलती नहीं और मजबूरन निर्धारित दुकान से खरीदना पडती है.

इसमें औषधि वि क्रेताओं ने संघ से इस संबंध में जनहित तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया. कार्यकारिणी सभा जिला औषधि वि क्रेता संघ के अध्यक्ष जय छजलानी की अध्यक्षता में संपन्न हुई. इस मौके पर मध्य प्रदेश केमिस्ट्स एण्ड ड्रगिस्टस एसोसिएशन के प्रतिनिधि एवं विशेष आमंत्रित सदस्य चद्रप्रकाश जैन चंदू भैया विशेष रूप से उपस्थित रहे. उपाध्यक्ष प्रकाश चैरडिया (जावरा), सचिव अजय मेहता, सह-सचिव विनय लौढा एवं संगठन सचिव दीपक दोशी मंचासीन रहे. सभा में दवा व्यवसायियों की वर्तमान समस्याओं के साथ आगामी दिनों में प्रस्तावित वार्षिक आम सभा से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई. समस्याओं का समाधान अध्यक्षीय मार्गदर्शन में सामूहिक सहमति से सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया. सभा का संचालन सचिव अजय मेहता ने किया. आभार दीपक दोशी ने माना. सभा में दिनेश बरमेचा, राजेश व्यास कमलचंद कटकानी, संजय पुगलिया, हर्ष शर्मा, पारस जैन, प्रवीण गुप्ता आदि मौजूद रहे.

गौ हत्याओं के मामलों को लेकर निकाली रैली

झाबुआ, 31 दिसंबर. जिले में गौ-हत्याओं की लगातार बढ़ती घटनाओं एवं पिछले दिनों सजेली के जंगल में हुई वारदात के बाद विश्व हिन्दू परिषद् एवं बजरंग दल में तीव्र आक्रोश है.

इसी को लेकर विहिप गौ-रक्षा विभाग ने 31 दिसंबर, बुधवार दोपहर डीआरपी लाईन स्थित श्री गोपेश्वर महादेव मंदिर से कलेक्टोरेट तक नारेबाजी के साथ विरोध रैली निकाली. बाद कलेक्टोरेट पहुंचकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रभारी तहसीलदार सुनिलकुमार डावर को सौंपा गया.

हेराफेरी करने वाली फर्म ने सरेंडर किए 25 लाख रुपए

जबलपुर, 31 दिसंबर. स्टेट जीएसटी एंटी इवेजन ब्यूरो की शहर के अलग-अलग 7 स्थानों पर स्टील मैटल और स्क्रैप कारोबारियों के ठिकानों पर हुई छापेमारी के बाद उजागर हुए 10 करोड़ से अधिक के फर्जीवाड़ा मामले मंगलवार को टैक्स चोरी करने गड़बड़झाला के साथ हेराफेरी करने वाली आशीष कोटवानी फर्म ने भी 25 लाख सरेंडर कर दिए है.

अब तक तीनों फर्मों से कुल 70 लाख रुपए नगद जमा कराये जा चुके है. डिप्टी कमिश्नर नवीन धुर्वे ने बताया कि आशीष कोटवानी फर्म में प्रो द्वारा लेखा पुस्तके प्रस्तुत की गई. आशीष कोटवानी द्वारा जांच पश्चात प्रारंभिक रूप से टैक्स चोरी स्वीकार करते हुए 25 लाख रुपए नगद जमा किया गया. शेष राशि जांच पश्चात और जमा किया जाएगा. कार्यवाही में मुख्य जांच अधिकारी मनीष जैन सहायक आयुक्त राज्य कर जबलपुर के द्वारा राशि जमा करवाई गई. सोमवार को तेजस मेटल में गोपीनाथ शर्मा सहायक आयुक्त राज्य कर द्वारा कुल 22 लाख रुपए, अक्षरा मेटल में रविन्द्र सनोडिया सहायक आयुक्त राज्य कर द्वारा 23 लाख रुपए नगद जमा कराए गए थे. तेजस मेटल एवं अक्षरा मेटल में कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है इस प्रकार तीनों फर्मों से कुल 70 लाख रुपए नगद जमा करवाया गया.

क्या है मामला- विदित हो कि स्टेट जीएसटी एंटी इवेजन ब्यूरो की टीम ने फर्मों के सात ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान टैक्स चोरी के खिलाफ हुई कार्रवाई के दौरान दस्तावेजों, माल और इससे जुड़े दस्तावेजों की जांच, स्टॉक, लेखा-जोखों की पड़ताल हुई थी. इसके साथ ही कई 14 से अधिक बोगस फर्मे भी मिली थी. जिसमें दाल-चावल, चॉकलेट-बिस्किट और अन्य खाद्य सामग्रियों की खरीदी होती थी लेकिन इनकी बिलिंग एल्युमिनियम, कॉपर व तांबे के स्क्रैप के लिए दशाई जाती थी. इसके अलावा यह बात भी सामने आई कि फर्जी बिलों के जरिए खरीद फरोख्त के साथ कारोबारियों ने टैक्स चोरी करने भारी गड़बड़झाला किया है.

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (IIFL-HFL) के कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गांव-122015 (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालय- 102/1 दर्शन मॉल, 15/2 रेस कोर्स रोड, इन्दौर-452001, मध्यप्रदेश में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद 'अधिनिय के अंतर्गत बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री। जबकि IIFL-HFL के प्राधिकृत अधिकारी ('AO') ने निम्नलिखित ऋण खातों/संभावना संख्याओं में अधिनियम की धारा 13 के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों का कब्जा ले लिया था. आईआईएफएल-एचएफएल के बकाये की वसूली के लिए 'जहां है जैसा है, जो है जैसा है तथा किसी सहारे के आधार पर' इसे बेचने के अधिकार के साथ, बिक्री वेबसाइट: www.iiflonehome.com पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी मंच के माध्यम से हस्ताक्षरकर्ता द्वारा की जाएगी.

देनदार/सहदेनदार/गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस की तिथि व राशि	अचल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति का विवरण	भौतिक कब्जा तिथि	रिजर्व मूल्य
श्री हरिओम ओझा श्रीमती वर्षा ओझा हरिओम फर्नीचर (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल 10275659)	19-11-2024 रु.527271/- (रु. पांच लाख सत्ताइस हजार दो सौ इकहत्तर मात्र) बिड वृद्धि राशि रु.20,000/- (रु. बीस हजार मात्र)	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा- फ्लैट नंबर B-201, दूसरी मंजिल, ब्लॉक B, EWS ब्लॉक सिंगापुर ग्रीन व्यू प्रीमियम, ग्राम बिज्जूखेड़ी, तहसील सांवेर, इंदौर, मध्य प्रदेश, 453555 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) संपत्ति का प्रकार- बिक्री योग्य क्षेत्र, कारपेट क्षेत्र संपत्ति का क्षेत्रफल- 301.00, 270.00	29-11-2025 कुल बकाया राशि 8-12-2025 को रु. 639104.03/- (रु. छह लाख उन्चालीस हजार एक सौ चार और पैसा तीन मात्र)	रु. 722000/- (रु. सात लाख बाइस हजार मात्र) बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 72200/- (रु. बहत्तर हजार दो सौ मात्र)
श्री रवि श्रीमती दुर्गा (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल 10212100)	8-8-2024 रु. 1612553/- (रु. सोलह लाख बारह हजार पांच सौ तिरेपन मात्र) बिड वृद्धि राशि रु. 25,000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र)	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा- प्लॉट नंबर A-130, शांति पैराडाइज कॉलोनी, गांव हर्षोला, तहसील महू और जिला इंदौर, म.प्र., 452001 क्षेत्रफल- भूमि क्षेत्र, कारपेट क्षेत्र संपत्ति का क्षेत्रफल- 675.00, 755.00	29-11-2025 कुल बकाया राशि 8-12-2025 को रु. 1724699.17/- (रु. सत्रह लाख चौबीस हजार छह सौ निन्यानवे और पैसा सत्रह मात्र)	रु. 1851000/- (रु. अट्ठारह लाख इक्यावन हजार मात्र) बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 185100/- (रु. एक ल पिच्यासी हजार एक सौ मात्र)

प्रॉपर्टी निरीक्षण दिनांक	ईएमडी की अंतिम दिनांक	ई-नीलामी दिनांक/समय
30/1/2026 11.00-14.00 बजे	2/2/2026 के 5.00 बजे तक	4/2/2026 11.00 से 13.00 बजे

भुगतान का तरीका- ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाना है. भुगतान करने के लिए आपको https-//www.ifionehome.com पर जाना होगा और केवल संपत्ति/सुरक्षित संप लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा. **नोट-** प्रत्येक संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए भुगतान लिंक अलग-अलग है. सुनिश्चित करें कि आप उस संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं जिसे सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं. **शेष भुगतान के लिए** - https-//www.iiflonehome.com ›मेरी बोली ›शेष राशि का भुगतान करें पर लॉग इन करें.

नियम एवं शर्तें:-

1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता https-//www. iiflonehome.com के पास अपना विवरण पहले से पंजीकृत करना होगा तथा लॉगिन ख लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा. इच्छुक बोलीदाताओं को उपरोक्त शाखा कार्यालय में ईएमडी के भुगतान विवरण, केवाईसी की प्रति तथा पैन कार्ड के साथ अपना 'निविदा प्रपत्र' जमा/भे होगा.
2. बोलीदाताओं को 'बोली वृद्धि राशि' कॉलम के अंतर्गत उल्लिखित राशि के गुणकों में अपनी पेशकश में सुधार करना होगा. यदि बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है समापन समय स्वत: ही 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा.
3. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (ईएमडी समायोजित करने के बाद) एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर तथा बोली राशि का शेष 75% सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा. सभी जमा और भुगतान निर्धारित भुगतान विधि से किए जाएंगे.
4. क्रेता को उपकर, लागू स्टाम्प शुल्क, फीस और कोई अन्य वैधानिक बकाया या अन्य बकाया जैसे नगरपालिका कर, बिजली शुल्क, भूमि और अन्य सभी आकस्मिक लागत, संपत्ति से संबंधित सभी और दरों सहित प्रभारों का भुगतान करना होगा.
5. क्रेता को बिक्री राशि के लेन-देन/भुगतान पर टीडीएस आवेदन का भुगतान करना होगा और आईआईएफएल एचएफएल के साथ टीडीएस प्रमाण पत्र जमा करना होगा.
6. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले नीलामी बिक्री और नीलामी आवेदन पत्र की विस्तृत शर्तों के लिए वेबस https-//www.iiflonehome.com और https-//www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखें.
7. ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता की ईमेल आईडी: care@iiflonehome.com, सहायता हेल्पल नंबर: @1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं.
8. संपत्ति के विवरण, संपत्ति के निरीक्षण और ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सोमवार से शुक्रवार के बीच 09:30 बजे से 18:00 बजे तक IIFL HFL टोल फ्री नंबर 18 2672 499 पर कॉल करें या ईमेल करें: care@iiflonehome.com
9. उपरोक्त उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि वे 7 दिनों के भीतर भौतिक कब्जे में लेने के समय सुरक्षित संपत्ति में पड़े घरेलू सामान को इकट्ठा करें, अन्यथा IIFL-HFL परिस्थितिर संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
10. इसके अलावा उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि यदि वे उपरोक्त सामान इकट्ठा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानून के अनुसार बेचा जाएगा.
11. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी स्तर पर निर्धारित समय के भीतर भुगतान में चूक की जाती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) कर ली जाएगी तथा संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा.
12. एओ बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है. निविदा/नीलामी में किसी भी विवाद की स्थिति में, आईआईएफएल-एचएफएल के का निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) के तहत वैधानिक 30 दिन की बिक्री सूचना

उधारकर्ता को निविदा/नीलामी की तिथि से पहले ऊपर उल्लिखित राशि के साथ-साथ अद्यतित ब्याज और सहायक व्यय का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति नीलामी/बिक्री की जाएगी और यदि कोई बकाया है तो उसे ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा.

स्थान- इन्दौर, दिनांक- 1 जनवरी, 2026 **एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमि**

कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर एवं पदेन उप सचिव
म.प्र. शासन, राजस्व विभाग

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0007/अ-82/2025-26

क्रमांक : 13/भू-अर्जन/2025 **इन्दौर, दिनांक : 23.12.2025**

लोक सूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
नोटिस अन्तर्गत धारा 21 (1) (2) (3) (4) (5) एवं धारा 22 (1) (2)

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का शासन उसके उल्लेखित प्रयोजन (**इन्दौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग के म/य 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु**) के लिए आवश्यकता होने से अधिग्रहण करना चाहता है, अत: सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है। अतएव उन समस्त व्यक्तियों को जो उस भूमि पर हित रखते हो को नोटिस दिनांक से 30 दिवस के अन्दर स्वत: या अपने अभिकर्ता या अधिवक्ता द्वारा **न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी कलेक्टर कार्यालय जिला इन्दौर में या अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग सांवेर, जिला इन्दौर, में दिनांक 22.01.2026 को समय प्रात: 10:30 बजे** उपस्थित होकर भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों में अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के उनके दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 12/धारा 20 के अधीन किए गए मापमानों के संबंध में भूमि एवं अन्य परिसम्पत्ति के प्रतिकर इत्यादि संबंधी दावों का पूर्ण विवरण राशि, माप तथा पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के पात्र हितग्राही को धारा 31 के तहत मिलने वाले लाभ आदि सम्बन्धित आपत्तियां यदि कोई हो तो लिखित तौर पर प्रस्तुत करें और अपने दावे/आपत्तियों के समर्थन में जो भी अभिलेखीय साक्ष्य रखतें हों वह साथ में प्रस्तुत करें अन्यथा समय सीमा उपरान्त प्रस्तुत होने वाली किसी भी आपत्ति पर सुनवाई नहीं की जाएगी।

अनुसूची-1

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला - इन्दौर
(ख) तहसील - सांवेर
(ग) ग्राम - बालरिया
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल - 13.426 हेक्ट.

सरल क्र.	खाता क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा न.	कुल रकबा (हे. में)	प्रभावित रकबा हेक्ट.में	अर्जित भूमि का प्रकार
01	02	03	04	05	06	07
1	1	द्वारका पिता शंकरलाल जाति खाती पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	192/2/2/1/2	1.012	0.070	सिंचित
2	2	ईश्वर पिता निर्भयसिंह पता बालरिया सांवेर इन्दौर म.प्र. भूस्वामी	192/2/2/1/1/3	1.518	0.177	सिंचित
3	3	बालमुकुन्द पिता भगवानकुमावत पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	158	3.076	0.707	सिंचित
4	4	मांगूबाई बेवा सदाशिव अभिषेक, पूजा, निकिता, मोना पिता सदाशिव जाति कुमावत पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	175/1/1	0.567	0.340	सिंचित
5	5	मोहनलाल पिता हरिराम पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	174/1	0.295	0.002	सिंचित
6			172/1/1	0.331	0.026	सिंचित
7			173/1	0.959	0.011	सिंचित
8			174/3	0.012	0.002	सिंचित
9	6	मोडीराम उर्फ सचिन पिता राजाराम जाति कुमावत पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	181/2	0.379	0.319	सिंचित
10			186/1	1.922	0.959	सिंचित
11			184/1	0.512	0.162	सिंचित
12			185/1	0.749	0.359	सिंचित
13	7	मानसिंह पिता जगदीश कुमावत जाति कुमावत पता तहसील सांवेर, जि. इन्दौर, मध्यप्रदेश इन्दौर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	95	0.802	0.408	सिंचित
14	8	मांगीलाल पिता पुनाम पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	190/2	0.517	0.315	सिंचित
15	9	हिरानाथ पिता नानुनाथ पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	38/5	0.632	0.265	सिंचित
16	10	निर्भयसिह पिता धुलजी जाति मेणा पता बालरिया सांवेर इन्दौर म.प्र. भूस्वामी	192/2/2/1/1/1	1.475	0.315	सिंचित
17	11	गिरवर पिता निर्भयसिंह पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	192/2/2/1/1/4	1.518	0.274	सिंचित
18	12	पार्वतीबाई चौहान पत्नी सुरेशजी चौहान पता इन्दौर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	78/3	0.842	0.020	सिंचित
19	13		78/1/3	0.555	0.067	सिंचित
20	14	रामप्रसाद पिता शिवजीराम जाति खाती पता सांवेर इन्दौर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	193/465	0.672	0.040	सिंचित
21	15	रामप्रसाद पिता शिवजीराम जाति खाती पता सांवेर सांवेर इन्दौर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	193/1/2	1.460	0.272	सिंचित
22			193/2	1.410	0.233	सिंचित
23	16	रामकलाबाई पति भागीरथ खाती पता निवासी टिगरिया छोटा,मध्यप्रदेश इन्दौर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	159/1	1.881	0.561	सिंचित
24			159/2	1.882	0.494	सिंचित
25	17	रामकिशन पिता सि/दनाथ जाति खाती पता पिपीलियहाना सांवेर इन्दौर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	189/2	2.559	0.130	सिंचित
26	18	राधेश्याम पिता नागुजी जाति गारी पता जैतपुरा तहसील सांवेर इन्दौर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	161/2	0.202	0.002	सिंचित
27	19	राजेश पिता नरेंद्रकुमार खंडेलवाल मुकेश पिता कैलाश चंद्रगुप्ता पता चन्द्रवतीगंज सांवेर इन्दौर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	175/2/1	0.667	0.290	सिंचित
28	20	रतनबाई तेजराम इन्दरलाल सुभाषचन्द्र पिता तेजराम जाति कुमावत पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	181/1	0.378	0.003	सिंचित
29	21	शंकरलाल पिता शिवजीराम जाति खाती पता बालरिया सांवेर इन्दौर म.प्र.भूस्वामी	193/1/1	0.622	0.145	सिंचित
30			195/4	0.813	0.813	सिंचित
31			195/3	1.623	0.243	सिंचित
32	22	सरजुबाई पति शंकरसिंह जाति खाती पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	192/2 /2/2	0.506	0.030	सिंचित
33			192/2/1	1.265	0.044	सिंचित
34	23	सोना पति शेरसिंह विलास पिता मलखानसिंह पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	76/1	1.234	0.456	सिंचित
35			76/2	1.234	0.413	सिंचित
36			94	1.461	0.035	सिंचित
37			77/4	0.862	0.287	सिंचित
38			77/3	0.862	0.188	सिंचित
39			77/2	0.866	0.014	सिंचित
40	24	दुन्नानाथ पिता बापुनाथ पता बालरिया सांवेर अहस्तांतरणीय	190/3	0.517	0.087	सिंचित
41	25	अभिषेक पिता सदाशिव पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	175/2/4	0.668	0.348	सिंचित
42			175/1/3	0.587	0.080	सिंचित
43			182	1.546	0.558	सिंचित
44	26	अनिल पिता बद्रीलाल जाति खाती पता सांवेर इन्दौर मध्यप्रदेश	191/2	1.769	0.241	सिंचित
45	27	ओमप्रकाश मानसिंह पिता जगदीशचन्द जाति कुमावत पता बडोदिया ईमा सांवेर इन्दौर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	78/1/2	1.265	0.586	सिंचित
46			78/1/1	2.024	0.865	सिंचित
47			93/1	0.890	0.575	सिंचित
48			96	0.910	0.139	सिंचित
49	28	अजोदिया बाई बेवा लक्ष्मण पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	100/1	0.526	0.033	सिंचित
50	29	अन्तरसिह पिता भेरा पता बालरिया सांवेर इन्दौर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	100/2	0.526	0.185	सिंचित
51	30	लीलाबाई पति निर्भयसिंह पता बालरिया सांवेर इन्दौर म.प्र.भूस्वामी	192/2/2/1/1/2	1.476	0.238	सिंचित
		कुल रकबा			13.426	

हस्ता./- (शिवम वर्मा)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
म.प्र. माध्यम/123758/2025 म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, जिला इन्दौर (म.प्र.)